रजिस्ट्री सं. डी.—(डी एन)—73

REGISTERED NO. D—(DN)—73

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, शनिवार, नवम्बर 5, 1983 (कार्तिक 14, 1905)

No. 45] NEW DELHI, SATURDAY, NOVEMBER 5, 1983 (KARTIKA 14, 1905)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड 1—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं . . .	743
भाग I—खण्ड 2—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं .	1527
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के संबंध में अधिसूचनाएं .	27
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गयी सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों आदि के संबंध में अधिसूचनाएं	1613
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम .	*
भाग II—खंड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ . . .	*
भाग II—खंड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट . . .	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं) .	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं .	*
भाग II—खंड 3—उप-खंड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी में प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खंड 3 या खंड 4 में प्रकाशित होते हैं) .	*
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	*
भाग III—खंड 1—उच्चतम न्यायालय, महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेलवे प्रशासनों, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	19835
भाग III—खंड 2—पैटेन्ट कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं और नोटिस . . .	707
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं . .	201
भाग III—खंड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं . .	3149
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्ति और गैर-सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन और नोटिस . .	187
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़े को दिखाने वाला अनपूरक	

*पृष्ठ संख्या प्राप्त नहीं हुई।

1—311GI/83

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) ..	743
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence)	1527
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence	27
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	1613
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	
PART II—SECTION 1-A—Authoritative text in the Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including orders, bye-laws, etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administrations of Union Territories)	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence ..	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the Supreme Court, Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	19835
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, Calcutta ..	707
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	201
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	3149
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	187
PART V—Supplement showing statistics of Birth and Deaths etc. both in English and Hindi ..	

*Folio Nos not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बंधित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 20 अक्तूबर 1983

सं० 75-प्रेज/83—राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के निम्नांकित अधिकारी को उस की वीरता के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक प्रदान करते हैं :–

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री बांलालौवा,
पुलिस उप निरीक्षक,
डी० एस० बी,
एजौल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया

सूचना मिली कि एस०/एस० के० बांलालकुंगा, जिसकी एक हत्या के मामले में जरूरत थी, के नेतृत्व में मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के कट्टर विरोधियों का एक दल साईफाई के आस पास के क्षेत्र में सक्रिय था। श्री बांलालौवा, पुलिस उप निरीक्षक, डी० एस० बी०, एजौल, की कमान में पुलिस दल उक्त विरोधियों को पकड़ने साइफाई जाने के लिये तैनात किया गया।

कांस्टेबल लालगइया तथा कांस्टेबल नगईडामा और चार अन्य पुलिस कर्मियों के साथ साइफाई पहुंचने पर उप-निरीक्षक बालालौवा ने सूचना देने वाले से सम्पर्क किया और एक झूम (झोंपड़ी) में खतरनाक स्वचालित हथियारों से लैस एस०/एस० के० बालालकुंगा और उसके तीन साथियों की उपस्थिति की पुष्टि की।

9 जून, 1982, को लगभग रात के 11 बजे उप-निरीक्षक बांलालौवा और उनका दल घने जंगल और एक अत्यन्त खतरनाक भू भाग को पार करता हुआ उस झूम (झोंपड़ी) की ओर बढ़ा। उन्होंने झोंपड़ी को खोज लिया जिसे उस क्षेत्र में एक सामरिक महत्व वाले स्थान पर बनाया गया था। छिपके छिपके और रेंग कर वे झूम (झोंपड़ी) की ओर बढ़े। रात काफी बीत चुकी थी और झूम (झोंपड़ी) के प्रवेश द्वार पर पहरा देने वाला संतरी अधिक सतर्क न था और इसलिये पुलिस दल झोंपड़ी के निकट पहुंचने में सफल हो गया। उस समय उप निरीक्षक बालालौवा तथा उनके दल ने निर्णय लिया कि झोंपड़ी पर अचानक धावा बोलकर विरोधियों को हतप्रभ करना बेहतर होगा। उप निरीक्षक बालालौवा संतरी पर टूट पड़े और अपनी स्टेनगन की बट से उस पर चोट की। उप निरीक्षक के बिल्कुल पीछे आ रहे कांस्टेबल लालगइया ने तुरन्त संतरी की एस० एम० जी० छीन ली। झूम (झोंपड़ी) के अन्दर छिपे मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के अन्य विरोधी जाग गये और उन्होंने अपने स्वचालित हथियारों को संभाल लिया तथा गोली चलाने का प्रयास किया। लेकिन उनके ऐसा कर सकने से पहले कांस्टेबल लालगइया और कांस्टेबल नगइडामा के साथ उप निरीक्षक तुरन्त झूम (झोंपड़ी) में घुस गये और वे सब स्वयं उन पर टूट पड़े। उन्होंने विरोधियों के साथ हाथापाई की, जिन्होंने अपने आपको छुड़ाने तथा पुलिस पर गोली चलाने का भरसक प्रयत्न किया। थोड़ी हाथापाई के बाद पुलिस ने विरोधियों को काबू कर लिया और उन्हें निरस्त्र कर के हिरासत में ले लिया। इसी दौरान झोंपड़ी के पृष्ठ भाग के आगे वाला पुलिस दल भी वहां पहुंच गया। मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के पूरे दल को हिरासत में ले लिया गया।

मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के विरोधियों को पकड़ने में उप निरीक्षक बालालौवा ने उत्कृष्ट वीरता, सूझबूझ, नेतृत्व, अनुकरणीय साहस और असाधारण कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. यह पदक राष्ट्रपति का पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिया जा रहा है तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 जून, 1982, से दिया जायेगा।

सं० 76/प्रेज/83—राष्ट्रपति मिजोरम पुलिस के निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

1. श्री नगईडाम, कांस्टेबल, डी० एस० बी०, एजौल।
2. श्री लालगइया, कांस्टेबल, डी० एस० बी०, एजौल।

सेवाओं का विवरण जिनके लिये पदक प्रदान किया गया।

सूचना मिली कि एस०/एस० के० बांलालकुंगा, जिसकी एक हत्या के मामले में, जरूरत थी, के नेतृत्व में मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के कट्टर विरोधियों का एक दल साइफाई के आसपास के क्षेत्र में सक्रिय था। श्री बांलालौवा, पुलिस उप निरीक्षक, डी० एस० बी०, एजौल, की कमान में एक पुलिस दल उक्त विरोधियों को पकड़ने साइफाई जाने के लिये तैनात किया गया।

कांस्टेबल लालगइया तथा कांस्टेबल नगईडामा और चार अन्य पुलिस कर्मियों के साथ साइफाई पहुंचने पर उप निरीक्षक बांलालौवा ने सूचना देने वाले से सम्पर्क किया और एक झूम (झोंपड़ी) में खतरनाक स्वचालित हथियारों से लैस एस०/एस० के० बालालकुंगा और उसके तीन साथियों की उपस्थिति की पुष्टि की।

9 जून, 1982, को लगभग रात के 11 बजे उप निरीक्षक बालालौवा और उनका दल घने जंगल और एक अत्यन्त खतरनाक भू भाग को पार करता हुआ उस झूम (झोंपड़ी) की ओर बढ़ा। उन्होंने झोंपड़ी को खोज लिया जिसे उस क्षेत्र में एक सामरिक महत्व वाले स्थान पर बनाया गया था। छिपके छिपके और रेंग कर वे झूम (झोंपड़ी) की ओर बढ़े। रात काफी बीत चुकी थी और झूम (झोंपड़ी) के प्रवेश द्वार पर पहरा देने वाला संतरी अधिक सतर्क न था और इसलिये पुलिस दल झोंपड़ी के निकट पहुंचने में सफल हो गया। उस समय उप निरीक्षक बांलालौवा तथा उन के दल ने निर्णय लिया कि झोंपड़ी पर अचानक धावा बोल कर विरोधियों को हतप्रभ करना बेहतर होगा। उप निरीक्षक बालालौवा संतरी पर टूट पड़े और अपनी स्टेनगन की बट से उस पर चोट की। उप निरीक्षक के बिल्कुल पीछे आ रहे कांस्टेबल लालगंइया ने तुरन्त संतरी की एस० एम० जी० छीन ली। झूम (झोंपड़ी) के अन्दर छिपे मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के अन्य विरोधी जाग गये और उन्होंने अपने स्वचालित हथियारों को संभाल लिया तथा गोली चलाने का प्रयास किया। लेकिन उनके ऐसा कर सकने से पहले कांस्टेबल लालगंइया और कांस्टेबल नगइडामा के साथ उप निरीक्षक तुरन्त झूम (झोंपड़ी) में घुस गये और वे सब स्वयं

उन पर टूट पड़े। उन्होंने विरोधियों के साथ हाथापाई की, जिन्होंने अपने आप को छुड़ाने तथा पुलिस पर गोली चलाने का भरसक प्रयत्न किया। थोड़ी हाथापाई के बाद पुलिस ने विरोधियों को काबू कर लिया और उन्हें निरस्त्र कर के हिरासत में ले लिया। इसी दौरान झोंपड़ी के पृष्ट भाग से आने वाला पुलिस दल भी वहां पहुंच गया। मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के पूरे दल को हिरासत में ले लिया गया।

मिजो राष्ट्रीय मोर्चे के विरोधियों को पकड़ने में कांस्टेबल नगाइडामा और कांस्टेबल लालगंइया ने उत्कृष्ट वीरता, साहस और अति उच्च कोटि की कर्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

2. ये पदक पुलिस पदक नियमावली के नियम 4(1) के अन्तर्गत वीरता के लिये दिये जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5 के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 9 जून, 1982 से दिया जायेगा।

मु० नीलकण्ठन,
राष्ट्रपति का उप सचिव

वित्त मंत्रालय

राजस्व विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 7 अक्तूबर, 1983

संकल्प

सं० फा० ई० 11011/10/81 रा० भा०:—वित्त मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति के पुनर्गठन से संबंधित इस विभाग के दिनांक 11 अगस्त, 1983 के संकल्प द्वारा यथासंशोधित दिनांक 27 सितम्बर 1982 के संकल्प सं० ई०-11011/10/81 रा० भा० में, जो भारत के राजपत्र दिनांक 23-10-82 के भाग 1, खण्ड 1 के पृष्ठ संख्या 713 पर प्रकाशित हुआ था, "1-संरचना" के अन्तर्गत निम्नलिखित संशोधन किया जायेगा, अर्थात्:-

विद्यमान प्रविष्टि सं० "16-श्री एम० पी० मुखर्जी, प्रधान केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, एक्स वाई 68, सरोजिनी नगर, नई दिल्ली" के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि की जायेगी, अर्थात्:—

"16. श्री यू० सी० अग्रवाल"
प्रधान केन्द्रीय सचिवालय, हिन्दी परिषद,
एक्स वाई 68, सरोजिनी नगर,
नई दिल्ली,

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की प्रति राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व लेखा परीक्षा निदेशक, समिति के सभी सदस्यों और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा विभागों को भेजी जाय।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाय।

कुंवर श्री दिलीप सिंहजी, अवर सचिव

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 20th October 1983

No. 75-Pres/83.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Mizoram Police :—

Name and rank of the officer

Shri Vanlalauva,
Sub-Inspector of Police, DSB,
Aizawl.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Information was received that a group of hard core MNF hostiles led by S/S Lt. Vanlalkuuga, who was wanted in a murder case, was operating at Saiphai area. The Police party under the command of Shri Vanlalauva, Sub-Inspector of Police, DSB, Aizawl, was detailed to go to Saiphai to apprehend the said hostiles.

On reaching Saiphai alongwith Constable Lalngaia and Constable Ngaibdama and four others, Sub-Inspector Vanlalauva contacted the source and confirmed the presence of S/S Lt. Vanlalkunga and his three associates with dangerous automatic weapons in a Jhum hut.

On the 9th June, 1982, at, about 2300 hours Sub-Inspector Vanlalauva and his party proceeded towards the Jhum hut through a thick jungle and a very treacherous terrain. They spotted the hut which was made at a strategic location in the area. They approached the Jhum hut very stealthily and by crawling. It was late in the night and the sentry guarding the entrance of the hut was not vedy alert and so the police party successded in getting close to the hut. At that point Sub-Inspector Vanlalauva and his party decided that it would be better to storm the hut and take the hostiles by surprise. Sub-Inspector Vanlalauva jumped at the sentry and hit him with the butt of his Sten-gun. Constable Lalngaia, who was following the Sub-Inspector right behind him, snatched the SMG from the sentry. The other MNF hostiles, who were inside the Jhum hut, got up and caught hold of their automatic weapons and tried to open five but before they could do so, the Sub-Inspector alongwith Constables Lalngaia and Ngaihdama rushed inside the Jhum hut and launched themselves on the hostiles. They grappled with hostiles who tried their level best to get loose and to fire at the police. After brief grappling, the police could overpower, disarm and capture the hostiles. In the meantime, the police party, who had been approaching the hut from behind, also reached. The entire group of MNF was captured.

In capturing the MNF hostiles, Sub-Inspector Vanlalauva exhibited conspicuous gallantry, presence of mind, leadership, exemplary courage and exceptional devotion to duty.

This award is made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the President's Police Medal and consequently carries with it the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th June, 1982.

No. 76-Pres/83.—The President is pleased to award the President's Police Medal for gallantry to the undermentioned officer of the Mizoram Police :—

Name and rank of the officer

Shri Ngaihdama,
Constable, DSB,
Aizawl.
Shri Lalngaia,
Constable, DSB,
Aizawl.

Statement of services for which the decoration has been awarded.

Information was received that a group of hard core MNF hostiles led by S/S Lt. Vanialkunga, who was wanted in a murder case, was operating at Saiphai area. The Police party under the command of Shri Vanlalauva, Aizawl DSB, was detailed to go to Saiphai to apprehend the said hostiles.

On reaching Saiphai alongwith Constable Lalngaia and Constable Ngaibdama and four others, Sub-Inspector Vanlalauva contacted the source and confirmed the presence of S/S Lt. Vanlalkunga and his three associates with dangerous automatic weapons in a Jhum hut.

On the 9th June, 1982, at, about 2300 hours Sub-Inspector Vanlalauva and his party proceeded towerds the Jhum hut through a thick jungle and a very treacherous terrain. They

spotted the hut which was made at a strategic location in the area. They approached the Jhum hut very stealthily and by crawling. It was late in the night and the sentry guarding the entrance of the hut was not very alert and so the police party succeeded in getting close to the hut. At that point Sub-Inspector Vanlalauva and his party decided that it would be better to storm the hut and take the hostiles by surprise. Sub-Inspector Vanlalauva jumped at the sentry and hit him with the butt of his Sten-gun. Immediately Constable Laingaia, who was following the Sub-Inspector right behind him, snatched the SMG from the sentry. The other MNF hostiles, who were inside the Jhum hut, got up and caught hold of their automatic weapons and tried to open fire but before they could do so, the Sub-Inspector alongwith Constables Lalngaia and Ngaihdama rushed inside the Jhum hut and launched themselves on the hostiles. They grappled with the hostiles who tried their level best to get loose and to fire at the police. After brief grappling, the police could overpower disarm and capture the hostiles. In the meantime the police party, who had been approaching the hut from behind, also reached. The entire group of MNF was captured.

In capturing the MNF hostiles, Constable Ngaihdama and Constable Lalngaia exhibited conspicuous gallantry, courage and devotion to duty of a very high order.

These awards are made for gallantry under rule 4(i) of the rules governing the award of the Police Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5, with effect from the 9th June, 1982

S. NILAKANTAN,
Dy. Secy. to the President.

MINISTRY OF FINANCE

DEPARTMENT OF REVENUE

New Delhi, the 7th October 1983

RESOLUTION

F. No. E.11011/10/81-OL.—In the Resolution No. E.11011/10/81-OL, dated 27th September 1982, as amended by the Resolution dated 11-8-83, reconstituting the Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Finance, issued by this Department and published in Part I, Section I of the Gazette of India, dated 23-10-82 at page 713, under "I—Composition", the following amendment shall be made therein, viz.:—

The existing entry No. "16. Shri S. P. Mukherjee, Pradhan, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi", shall be substituted by the following, viz. "16. Shri U. C. Aggarwal, Pradhan, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad, XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi".

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :

President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabnet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller & Auditor General of India, Director of Audit, Central Revenues, all Members of the Samiti, and all the Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

K. S. DILIPSINHJI, Addl. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1983.